अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1484 / 2026

राम करण सहनी उर्फ बउया सहनी बनाम् बिहार सरकार

14.07.2026 आवेदक राम करण सहनी उर्फ बउया सहनी, जिसे हलई थाना कांड सं0–44 / 2025, अन्तर्गत धारा 190,191(1),(2),(3),121(1),(2),221,132,109,115(2),118(2),352 भा0 न्या0 सं0, में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचक राहुल कुमार, थानाध्यक्ष, हलई के स्वलिखित बयान के आधार पर आवेदक सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 02.04.2025 को 10.30 बजे बाबा केवल राजकीय मेला होने के कारण बैठक में पुलिस पदाधिकारी एवं मेला समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया कि कोई भी दुकान सड़क के किनारे नहीं रहेगा जिसके आलोक में केवल मंदिर से लेकर अतिथि गृह तक सड़क के किनारे नया दुकान बना रहे थे जिसे वरीय पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक, मोरवा द्वारा बार–बार माईक एवं दुकान के पास जाकर दुकान को हटाकर सड़क के किनारे से नीचे फील्ड में लगाने का आग्रह करने के बावजूद भी दुकानदार द्वारा दुकान नहीं हटाने पर अंचल अधिकारी, मोरवा की उपस्थिति में कुछ दुकानदार स्वेच्छा से अपना दुकान नीचे फील्ड में लेकर चले गए, तब पुलिस बल एवं पदाधिकारी वहां से चलने लगे तो पीछे से एकाएक एक महिला ईट उठाकर चला दी जो सिपाही नं0–165 अजय कुमार यादव के सिर पर लगा जिससे वहीं पर सड़क पर मुंह के बल गिर गया। जब सूचक पीछे मुड़कर देखे तो 20–25 व्यक्ति बांस–बल्ला एंव ईट लेकर पथराव करने लगे। पुलिस बल द्वारा पत्थर चलाने वाली महिला को खदेड़कर पकड़ा गया एवं वहीं पर खड़ा एक लड़का जो ईट उठाए हुए था, उसे भी पकड़ा गया जिसने पूछने पर अपना नाम कंचनिया देवी एवं रौशन कुमार बताया। पुलिस पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान मेला कमिटी के सदस्यों द्वारा श्रीकान्त कुमार, रामफल सहनी, बउया सहनी (आवेदक), संजीत सहनी, सोनू सहनी, मनीष सहनी के रूप में की गई। इसके अलावे 10–12 अन्य अज्ञात व्यक्ति भी शामिल थे।

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन वाद स्पष्टतः झूठा है जिसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। आवेदक के विरूद्ध इस कांड से संबंधित धारा कांड अनुरूप नहीं बनता है। इस कांड में आवेदक के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करे कि आवेदक इस घटना में शामिल था। आवेदक पर किसी महत्वपूर्ण अंग पर मारने का कोई आरोप नहीं है। आवेदक को सूचक न तो जानता है, न ही पहचानता है, केवल स्थानीय लोगों के उत्प्रेरणा स्वरूप इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध प्रत्यक्ष, परोक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद

Web Copy

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1484 / 2026

लगातार

14.07.2026 नहीं हुआ है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक के पलायन एवं उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वह बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को उसकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार घटना के क्रम में एक महिला पुलिस बल एवं पदाधिकारी पर पीछे से एकाएक ईट उठाकर चला दी जो सिपाही नं0–165 अजय कुमार यादव के सिर पर लगा जिससे वहीं पर सड़क पर मुंह के बल गिर गया। जब सूचक पीछे मुड़कर देखे तो 20–25 व्यक्ति बांस–बल्ला एंव ईट लेकर पथराव करने लगे। पुलिस पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान मेला कमिटी के सदस्यों द्वारा श्रीकान्त कुमार, रामफल सहनी, बउया सहनी (आवेदक), संजीत सहनी, सोनू सहनी, मनीष सहनी के रूप में की गई। आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। इस वाद के अभियुक्त संजीत कुमार उर्फ संजीत सहनी को कि0 मिस0 नं0–23585 / 2026 में दिनांक 22.04.2026 को पारित आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अग्रिम जमानत दिया जा चुका है। आवेदक का आधार भी समान स्तर का है एवं जमानत आवेदन–पत्र की कंडिका 3 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक राम करण सहनी उर्फ बउया सहनी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर मो0 10,000 रू0 साथ समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंध–पत्र भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482(2) के शर्तो के साथ दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वह इस मामले के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy